पुलिस आदेश सं०- 02 / 2017

प्रत्येक जिला में आरक्षियों के स्वीकृत बल में से दो–दो पद मुठभेड़ अथवा कर्त्तव्य में मृत आरक्षी बल के सदस्यों के नाबालिग बच्चों के लिए सुरक्षित रखने के सबंध में ज्ञापांक–6568/पी02, दिनांक–11.08.1988 द्वारा निर्गत पुलिस आदेश संख्या–209/88, को निम्नवत् संशोधित किया जाता है –

(1) पुलिस आदेश संख्या–209/88 की कंडिका–6 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

" पूर्वाह्न में बच्चे स्कूल जायेंगे। 12 से 14 वर्ष के बाल सिपाहियों को किसी भी प्रकार के कार्य में तथा 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को Hazardous occupation and processes के कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ऐसे किशोरों से 4 बजे अपराह्न से 5:30 बजे अपराह्न तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संचिकाओं को लाना–ले जाना जैसे हल्का–फुल्का कार्य लिया जा सकेगा। इन्हें किसी भी दीगर घरेलू कार्यों में नहीं लगाया जायेगा। "

(2) वित्त विभाग के संकल्प संख्या–5027 दिनांक–17.05.2013 द्वारा सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित किये जाने के कारण पुलिस आदेश संख्या–209/88 की कंडिका–8 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है –

" 18 वर्ष की उम्र सीमा पूर्ण करने पर बाल सिपाही के पद से विमुक्ति के पश्चात् 23 वर्ष की उम्र सीमा तक विमुक्त बाल सिपाही यदि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्थात् इण्टरमीडिएट (10+2) एवं शारीरिक अर्हता पूरा करते है एवं सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक हो तो 18 से 23 वर्ष की अवधि की बीच उन्हें सिपाही के पद पर संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा/प्राचार्य आदि द्वारा नियुक्त कर लिया जायेगा।

किन्तु यदि कोई बाल सिपाही निर्धारित शैक्षणिक/शारीरिक योग्यता पूर्ण नहीं करता है तथा मार्जन के उपरान्त भी सिपाही के पद पर नियुक्त होने योग्य नहीं पाया जाता है तो संबंधित मामले में उम्मीदवार की नियुक्ति समूह 'घ' के पद पर कर ली जायेगी, यदि वह समूह 'घ' में नियुक्ति के योग्य हो।"

(3) पुलिस आदेश संख्या–209/88 के शेष अंश यथावत् समझे जाएंगे ।

इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

27/3/17
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4036 /पी03
43–38–157–2009
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 29-3-17

प्रतिलिपि :–

1. सभी महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक(रेल/इकाई सहित)/सभी समादेष्टा, सैन्य पुलिस/सहायक निदेशक,बिहार पुलिस अकादमी/सभी प्राचार्य, सिपाही प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. आई0टी0मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

27/3/17
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।